न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/86/2019 दायर दिनांक 09.10.2019

उनवान

1. नारायण पिता गंगाराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— वादीगण

बनाम

1. तुलसीराम पिता कालू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. देवजी पिता प्रताप जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
3. रतन पिता कालू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. मिठू पिता कालू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. भैरूलाल पिता प्रताप जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 17.12.2024

—:निर्णयः—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि यह कि मौजा लाखा का खेडा तहसील कपासन में आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 0.59 हैक्टर एवं 389 रकबा 0.90 हैक्टर स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में वादी स्वयं की खातेदारी से दर्ज होकर वादी के कब्जे एवं अधिकार में है एवं वर्तमान में उक्त आराजीयात में वादी ने मक्की की फसल काश्त कर रखी है।

यह कि वादी की उक्त खातेदारी व कब्जे की आराजीयात में प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण आपसी वेमनश्यता कारण आये दिन वादी की उक्त खातेदारी व कब्जे अधिकार की आराजीयात में दस्तन्दाजी कर जबरन मवेशी घुसा देते है एवं आराजीयात की बाड बन्दी करने के लिये जो तार लगा रखे है, उनको नुकसान पहुँचा देते है और वादी के द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमदा हो जाते है। इस कारण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने में प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा परन्तु स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने में मुझ वादी को बेशुमार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति मूल्यो में नहीं की जा सकेगी।

यह कि दिनॉक 3/10/2019 को सॉय 05 बजे का वाका है कि मै वादी अपने पुत्र के साथ अपनी खातेदारी व कब्जे अधिकार की उक्त आराजीयात की देखभाल करने गया तो देखा कि

प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से मुझ वादी की खातेदारी व कब्जे शुदा उपरोक्त खेतो में मवेशी घुसा रखे थे जिनको मैने बाहर निकाले। मवेशियो को घुसाने से मेरी मक्की की फसल नुकसान हुआ। मुझ वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि आपने मवेशियों को संभाल कर रखो, मुझे नुकसान मत पहूँचाओ तो मेरे साथ लडाई झगडा करने पर आमदा हो गये।

यह कि बिनाय मुखास्मत वाद दिनॉक 03/10/2019 को पैदा हुई एवं उसके बाद हर रोज हर समय पैदा हो रही है ।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की कि–
– पक्ष वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित ग्राम लाखा का खेड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 0.59 हैक्टर व 389 रकबा 0.90 हैक्टर में किसी भी प्रकार की दस्तन्दाजी कर आराजी को नुकसान नहीं पहुॅचावे । मवेशी आदि नहीं घुसावे। एवं न ही ऐसा अपने परिवार के अन्य सदस्य, नौकर, एजेन्ट आदि से ही करावे।
– हर्जा खर्चा मुकदमा, मेहन्ताना वकील आदि वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।
– अन्य कोई दाद जो मुफीद वादी हो एवं न्यायालय आप द्वारा वादी को दिलाया जाना न्यायोचित हो वह भी दिलाई जावे ।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जाट का अधिकार पत्र प्रस्तुत। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध पूर्व में वकील वादी द्वारा आदेशिका पर हस्ताकर कर कार्यवाही ड्रॉप किये जाने के निवेदन से कार्यवाही ड्रॉप की गयी। वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 03.02.2023 को जवाब बन्द किया गया। वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी प्रस्तुत नहीं किये जाने से आज दिनांक 17.12.2024 को साक्ष्यवादी बन्द की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात वर्तमान में वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 5 उक्त खातेदारी व कब्जे अधिकार की आराजीयात में दस्तन्दाजी कर जबरन मवेशी घुसा देते है एवं आराजीयात की बाड बन्दी करने के लिये जो तार लगा रखे है, उनको नुकसान पहुँचा देते है और वादी के द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमदा हो जाते है। इस कारण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। हमनें प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया जिसमें वादी खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा लाखा का खेडा तहसील कपासन में आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 0.59 हैक्टर एवं 389 रकबा 0.90 हैक्टर स्थित है में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात में किसी भी प्रकार की दस्तन्दाजी कर आराजी को नुकसान नहीं पहुॅचावे। मवेशी आदि नहीं घुसावे। एवं न ही ऐसा अपने परिवार के अन्य सदस्य, नौकर, एजेन्ट आदि से ही करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official